सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

सूचना का अधिकार

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

सूचना का अधिकार

नहीं, नहीं, कभी नहीं

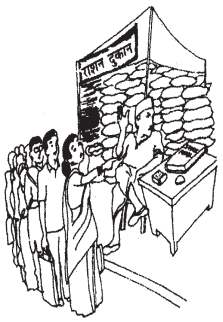

गौरी के जिले में हेल्थ बोर्ड ने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने की बहुत बड़ी स्कीम चलाई। गौरी और उसकी सहेलियों ने इसकी सफलता के बारे में रेडियो पर सुना। लेकिन अपने आसपास देखने से पता चला कि किसी बच्चे को दवाई नहीं पिलाई गयी थी। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से जाकर यह जानकारी मांगी कि कितनी दवाई जिले में आई थी, कितनी पिलाई गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने यह सब बताने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह सारी सूचना देने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं।

एक पत्रकार ने अखबार में पढ़ा कि एक ही इलाके में, एक अवधि के बीच कई बच्चों की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी। जब उसने गाँव–गाँव जाकर इसकी जानकारी ली तो उसे पता चला कि बच्चे बीमारी से नहीं, भूख से मरे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और कलेक्टर से इसके बारे में जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया।

एक इलाके के लोग कई हफ्तों से राशन की दुकान पर चावल और चीनी लेने जा रहे थे। रोज यही जवाब मिलता – आये नहीं हैं, खत्म हो गये। बार–बार परेशान होने पर लोगों ने लाला से कहा कि सामान का रजिस्टर दिखाओ हम जानना चाहते हैं कि कितना सामान आया, कब आया और कब बांटा गया ? लाला ने धमका कर कहा – ''तुम्हारे बाप की दुकान है, क्या ? मैं कोई रजिस्टर न रखूँगा न दिखाऊँगा। कर लो जो कर सकते हो।''

कई बड़े–बड़े अफसर और नेता अपनी कार्य की अवधि समाप्त होने के कई साल बाद तक सरकारी मकानों पर कब्जा किये बैठे थे। कईयों ने तो किराया भी नहीं दिया था। बात खुलने पर इस मुद्दे की छानबीन के लिये संसद की एक समिति बनाई गई। जब कुछ पत्रकारों ने समिति से उन लोगों के नामों की सूची मांगी जो घरों पर कब्जा किये हुए थे, उन्हें जवाब मिला ''यह गुप्त मामला है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिये।''

शब्बीर और सुनील ने अपने नाम रोजगार विभाग (एम्पलायमेंट एक्सचेंज) में पाँच साल पहले दिये थे। जब भी विभाग में वह अपनी स्थिति के बारे में पूछते तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। तब उन्हें पता चला कि उनके सहपाठी शंकर को नौकरी मिल गई है, जबकि उसने उन दोनों के बाद अपना नाम दिया था। उन्होंने मांग की कि उन्हें एक्सचेंज के रोल दिखाये जायें। विभाग के अधिकारियों ने कहा, यह सरकारी सूचना है, किसी को नहीं दिखाई जा सकती।

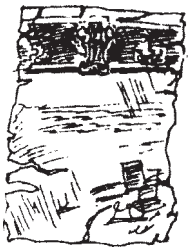

रामलीबाई को अपने पिता की सम्पति में से हिस्सा मिला था। अब उसे अपने नाम में करानी चाहती थी। भाईयों ने कुछ झगड़ा डाला तो तहसीलदार ने रामली से कहा कि जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेजों की कापियाँ ले कर आओ। रिकार्ड कार्यालय में कागजों और दस्तावेंजों को इतना बुरा हाल था कि रामलीबाई के दस्तावेल कई महीनों तक नहीं मिल पाये और उसका अधिकार मारा गया। अधिकारियों ने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।

रामपुर गाँव के लोगों ने सुना था कि गाँव में से बहने वाली नदी पर एक पुल बन रहा है। तीन साल बीत गये पर कोई पुल नहीं दिखाई पड़ा। जब गाँव के कुछ लोगों ने पंचायत से पुल के बारे में सूचना मांगी तो पंचायत ने उन्हें कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। सरपंच ने कहा –

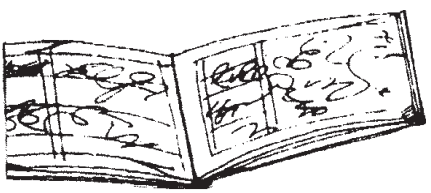

"यह हमारा मामला है, तुम लोगों को कुछ ***जानने का अधिकार*** *नहीं है।"*

लेकिन रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि :

- ❖ पुल बनने के लिये कितना पैसा दिया गया है ?
- ❖ पुल कितने समय में बनेगा ?
- ❖ पुल बनाने के लिये कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने वेतन पर ?
- ❖ पुल किस विशेष स्थान पर बनेगा ?
- ❖ यदि बनने के बाद पुल टूट जाता है तो किसकी जिम्मेवारी है, किसका दोष है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

इसीलिए, रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि पुल उस जगह बनने का निर्णय कैसे लिया गया। उन्हें यह भी जानने का हक है कि पुल बनाने के लिये कितना पैसा तय किया गया है। वे उन सब दस्तावेजों के हकदार है जिनसे पता चलता है कि किस सामग्री पर कितना खर्च हुआ इत्यादि।

जानना क्यों जरूरी है

कई ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जो हमारे जीवन के कई तरह से प्रभावित करते हैं। सरकारी कामों में हमारा बहुत पैसा भी लगता है। हमें यह अधिकार है कि हमें ऐसी जरूरी बातों के बारे में पता चले। यदि सारे काम के बारे में खुली जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। इसे कहते हैं शासन में पारदर्शिता।

सरकार और शासन लोगों के लिये हैं और कानून से बचे नहीं है। यदि काम सही ढंग से नहीं होता, तो शासन को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। रामपुर में बना पुल यदि बह जाये या टूट जाये, तो लोग यह जानने के अधिकारी हैं कि दोष किसका था और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है। इसे कहते हैं शासन की जनता को जवाबदारी।

लोकतन्त्र में शासन लोगों के लिये ही होता है। हम शासन चलाने के लिये अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हम सरकार चलाने के लिए कई प्रकार के टैक्सों द्वारा पैसा देते हैं। सारा सरकारी काम हमारे लिये, हमारे ही पैसों से होता है।

यह काम जरूरतों के अनुसार हो, इसके लिये हमें काम की पूरी–पूरी जानकारी होनी चाहिये। इसे कहते हैं, शासन में लोगों की भागीदारी।

निर्णय जानने के लिये, अनेक तरह के मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिये, हिसाब मांगने के लिये, ब्यौरा मांगने के लिये और शासन को अपने काम के लिये जिम्मेदार ठहराने के लिये, सूचना आवश्यक है।

सूचना किसे कहते हैं ?

सूचना कई रूप ले सकती है – वह सरकारी व शासकीय कार्यवाही और बैठकों के ब्यौरे से मिल सकती है, वह शासकीय निर्णयों, आदेशों, अधिसूचनाओं से मिल सकती है। शासकीय रजिस्टरों में एन्ट्री की कापियाँ, खातों की कापियाँ, विभागों की प्रक्रियाएँ और नियम, किसी निर्माण कार्य का चित्रांकन या मानचित्र (नक्शा) सभी चीजें आम नागरिक के लिये

सूचना हैं। खरीदे गए सामान के बिल का वाऊचर देख कर हमें यह सूचना मिल सकती है कि क्या–क्या खर्च हुआ।

इन सब चीजों का हमारे लिये उपलब्ध होना सूचना का अधिकार है

एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था ने रिपोर्ट निकाली कि कुछ पैक–बंद खाने की चीजों में (जैसे हल्दी, शिशुओं की दुध पाउडर इत्यादि) कीटाणु नाशक पदार्थ पायें जाते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। स्वास्थ्य–संबंधी बातों पर काम कर रही एक संस्था ने जब रिपोर्ट की कापी मांगी तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करने के लिये रिपोर्ट में दी गई जानकारी लोगों के लिए आवश्यक है।

यह अधिकार हमें किसने दिया है ?

यह अधिकार हमें हमारे देश के मूल कानून से मिलता है। देश के मूल कानून को संविधान कहते हैं। संविधान के अनुसार हमारे कुछ मूल अधिकारी है जिनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने की सख्त मनाही है। हाँ, कुछ खास कारणों से, लोगों का ही हित देखते हुए, सामान्य सी रोक लग सकती है। इन खास अधिकारों को कहते हैं मौलिक अधिकार। यही अधिकार है जो हमें सूचना का अधिकार देते हैं :

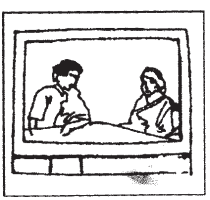

बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार : इसका मतलब है अपनी बात खुल कर कह पाना, अपने विचार बिना किसी नाजायज रोक से व्यक्त

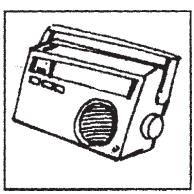

करना। अभिव्यक्ति यानि अपने भाव प्रकट करना – चाहे वह बोलकर या लिखकर, चित्र या मूर्ति बनाकर हो। इस अधिकार का एक जरूरी अंश है किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना चाहे उसके समर्थन में या विरोध में। बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में जानने का अधिकार निहित है क्योंकि जब तक हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उसके बारे में विचार नहीं व्यक्त कर सकते।

समानता का अधिकार : सभी को कानून की नजर में सामान व्यवहार का अधिकार है। इसलिए समान रूप से हर व्यक्ति को सूचना मिलना भी इसमें शामिल है, क्योंकि सूचना एक व्यक्ति की शक्ति होती है। सूचना रखने वाले व्यक्ति में और सूचना से वंचित व्यक्ति में असमानता पैदा होती है।

जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार : इसका मतलब है वे सभी चीजें पाने का अधिकार जिनसे अपने जीवन और प्राणों की रक्षा हो सके। इसमें सम्मान से, बिना नाजायज रोक–टोक का जीवन जीने का अधिकार भी है। इसी में है अपने जीवन से जुड़ी अहम बातों की जानकारी का अधिकार।

उड़ीसा के जिले में नहर बनने वाली थी। आपस में चर्चा होने पर, वहाँ के लोगों को लगा कि जिस जगह पर नहर बनने वाली है, वहाँ नहर न तो उपयोगीय होगी न ही पर्यावरण के हिसाब से सही। उन्होंने सिंचाई विभाग को अपनी बात कहने के लिये, नहर के बारे में कुछ ब्यौरे मांगे। जवाब यह मिला कि ये उन्हें नहीं दिये जा सकते क्योंकि यह सरकारी सूचना है। लोगों को नहर के बारे में सूचना लेने का अधिकार है, ताकि वे नहर के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें।

फिर सूचना मिलती क्यों नहीं ?

सूचना अधिकतर इसलिये मना की जाती है क्योंकि –

- कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अंतर्गत सूचना रोकी जा सकती है।

कुछ कानून जो सूचना देने के आड़े आते हैं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923

इस तरह के कानून अंग्रेज सरकार ने अपने बचाव के लिये बनाये थे। ये लोकतंत्र के नियमों के और हमारे संविधान के बिल्कुल विरूद्ध हैं। इन्हें बदलने की और कुछ को हटाने की आवश्यकता है।

- शासन जटिल और उलझा हुआ होने के कारण प्रभावशाली और भ्रष्ट हो गया है। वह 'गुप्त सूचना' की आड़ में अपने को बचाना चाहता है।
- माँगी सूचना मिलनी ही मुश्किल है क्योंकि सरकारी फाईलें, दस्तावेजों और कागज रखने का ढंग बहुत खराब और पुराने ढंग का है।

- लोग यह जानते ही नहीं कि उन्हें सूचना लेने का अधिकार है। अगर उन्हें सूचना देने के लिए कोई इन्कार करता है तो वह अपने हक को बलपूर्वक नहीं जताते। अभी की स्थिति में, हय हक लेने के लिये लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा जो कि एक लम्बा और परेशानी का रास्ता है।

- सूचना माँगने या प्राप्त करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती।

सूचना के अधिकार पर एक केन्द्रीय कानून संसद ने पारित किया है। इस कानून का नाम है **'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'** अंग्रेजी में इसका नाम है **'राईट टू इन्फॉरमेशन ऐक्ट, 2005'**

इस कानून की मुख्य बातें

- सूचना के अधिकार का उद्देश्य है, प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

- हर नागरिक को लोक शक्तियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 'लोक शक्तियाँ' यानि सरकारी, शासकीय संवैधानिक संस्थाएँ और विभाग। इसमें सरकार द्वारा दिए गए भारी मात्रा का आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर–सरकारी संस्थाएँ भी शामिल हैं।
- 'सूचना' का मतलब है किसी लोक शक्ति के शासकीय कार्यों या निर्णयों से संबंधित किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री।
- सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है :
  - रिकार्डों का अवलोकन करके उनमें से अंश या नोट लेना।
  - रिकार्डों की सत्यापित प्रतियाँ (सर्टीफाईड कॉपी) लेना।
  - किसी सामग्री के सत्यापित नमूने लेना।
  - कम्प्यूटर की फ्लॉपी, डिस्केट इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना।

- इस कानून इस कानून की एक अहम बात है कि सरकारी विभागों और शासकीय संस्थाओं पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे :
  - अपने रिकार्डों को सही ढंग से रखे जिसमें उन्हें ढूँढने में सुविधा हो।
- अपने बारे में कुछ जानकारी स्वयं प्रकाशित करें जैसे :
  - अपने–अपने कार्यों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी
  - अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ, उनके दायित्व और उनके निर्णय लेने की कार्यप्रणाली
  - अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक

वेतन, भत्ता इत्यादि।

- अपने कार्य करने के लिए उनके मापदंड।
- उनके अधीन काम करने वाले लोगों के काम करने के तरीकों से संबंधित नियम, नीति, आदेश इत्यादि दस्तावेज
- कोई भी अहम निर्णय लेते समय या नीति निर्धारित करते समय, उनसे संबंधित सभी तथ्यों को प्रसारित करना।

- अपने निर्णयों से प्रभावित लोगों को उन निर्णयों का आधार बताना।
- कोई भी नया कार्य करने से पहले, उस कार्य के बारे में उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी उस कार्य से प्रभावित होने वाले को देनी होगी।

- हर लोक शक्ति को अपने परिसरों में यह जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी :
  - नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए क्या सुविधायें उपलब्ध है –
  - सूचना देने के लिए नियुक्त 'लोक सूचना अधिकारी' का नाम, पद और अन्य जानकारी (जैसे कहाँ बैठते हैं, कार्य करने का समय, इत्यादि)
  - सूचना उपलब्ध करने के साधनों की जानकारी, जैसे वाचनायलय (लाइब्रेरी) का समय, इत्यादि।

एक नागरिक सूचना कैसे माँगेगा ?

❖ हर विभाग में, इस कानून के अंतर्गत सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक 'लोक सूचना अधिकारी' नियुक्त किए गए हैं। इनकी जानकारी स्पष्ट रूप से विभाग के कार्यालय में लिखी होगी।

❖ लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना की माँग का निपटारा करेंगे। वे सूचना माँगने वाले को हर प्रकार से सामान्य सहायता भी देंगे।

❖ लोक सूचना अधिकारी अपने इस कार्य के लिए किन्हीं और अधिकारियों की सहायता भी माँग सकते हैं। इन अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी की हर प्रकार से सहायता करनी होगी।

❖ कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की सूचना चाहता है, तो उसे 'लोक सूचना अधिकारी' को लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें उसे अपनी मांगी गई सूचना के बारे में ब्यौरा देना होगा। जैसे : किस विभाग से संबंधित है; फाईल या दस्तावेज का नाम (पता हो तो) आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, तारीख इत्यादि।

❖ अगर कोई व्यक्ति लिखित आवेदन में असमर्थ है तो वह मौखिक आवेदन (बोल कर, मुँह–जुबानी) दे सकता है। लोक सूचना अधिकारी उसको लिखित में करने में सहायता करेंगे।

❖ सूचना का आवेदन पाने के बाद, लोक सूचना अधिकारी जितनी जल्दी हो सके और अधिकतम 30 दिन के अन्दर या तो सूचना उपलब्ध करायेंगे या कारण बताते हुए, आवेदन को नामंजूर कर देंगे।

यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति की जान या निजी स्वतंत्रता से संबंध रखती हो, तो सूचना 48 घंटों के अन्दर दी जानी चाहिए।

❖ सूचना के आवेदन पर एक सामान्य शुल्क (फी) लगेगा। यह नकद, या बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा किया जा सकता है। अलग –अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। केन्द्र सरकार ने आवेदन शुल्क 10 रूपये रखा है। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। मांगी गई सूचना पर भी कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। जहाँ सूचना की मात्रा अधिक होगी, वहाँ लोक सूचना अधिकारी शुल्क भरने के लिए आवेदक को सूचित करेंगे। सूचित करने और शुल्क जमा करने के बीच की अवधि 30 दिन की गिनती में नहीं आएगी सूचना उसी रूप में दी जानी चाहिए, जिस रूप में मांगी गई हो। जैसे, अगर किसी रजिस्टर की प्रति (फोटोकॉपी) मांगी गई है, तो वही देनी होगी। अगर सूचना ऐसे रूप में मांगी गई हो जिससे या तो विभाग का असामान्य समय या पैसा खर्च हो या उन दस्तावेजों को कोई नुकसान पहुँचे तो सूचना किसी और रूप में भी दी जा सकती है। जैसे : यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े दस्तावेज की छपी प्रतियाँ मांगे, जिन्हें छापने/फोटोकॉपी करने में बहुत समय लगेगा, तो कागजी प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटर 'फ्लॉपी' इत्यादि द्वारा वह सूचना दी जा सकती है।

क्या हर प्रकार की सूचना दी जाएगी ?

नहीं! कानून में कुछ ऐसी सूचनाओं की सूची है जिनको देने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, कुछ सरकारी संस्थाएँ हैं जिनका काम सुरक्षा और गुप्त सूचना की प्राप्ति से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों द्वारा इन संस्थाओं से सूचना नहीं मांगी जा सकती।

सूचना का आवेदन किन आधारों पर नामंजूर हो सकता है ?

कुछ सूचनाएँ नहीं दी जाएँगी, जैसे :

- भारत की प्रभुता, अखंडता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँः वे सूचनाएँ जो राज्य की सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ।

- सूचनाएँ जो लोक सुरक्षा और शांति पर विपरीत असर करती हो; वे सूचनाएँ जो किसी अपराध के पता लगाने और उसकी जाँच पर विपरीत असर डालती हो; वे सूचनाएँ जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत असर डालें। वे सूचनाएँ जो किसी की जान या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करे।
- मंत्रीमंडल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेजों व विचार–विमर्श। ऐसी सूचनायें निर्णय लेने या प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जन साधारण को दी जा सकती है।
- व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ऐसी बातें जिन्हें कानूनी तौर पर गुप्त रखा जाता है। ऐसी सूचना जिसे बताने से सरकार की आर्थिक या वाणिज्य स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, या किसी व्यक्ति को नाजायज फायदा या नुकसान हो सकता है।
- ऐसी सूचना जिससे संसद या विधान सभाओं के विशेष अधिकारों की मर्यादा भंग होती हो।
- ऐसी सूचना जिससे किसी कोर्ट के विधिवत् आदेश का उल्लंघन होता हो।
- ऐसी सूचना जो किसी की निजी सूचना है और किसी लोक गतिविधि या जनहित से संबंध नहीं रखती, या जो दिए जाने से किसी की निजीता (प्राईवेसी) का उल्लंघन करती हो। यदि सूचना

अधिकारी को लगे कि ऐसी निजी सूचना देने से किसी जनहित की पूर्ति होती है तो ऐसी सूचना भी दी जा सकती है।

कोई भी सूचना जो संसद या किसी राज्य की विधायिका को देने से मनाही नहीं हो सकती, वे सभी सूचनायें किसी व्यक्ति को भी देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

ऊपर दिए गए सभी विषयों पर ऐसी सूचना जो 20 साल से पहले हुई किसी घटना से संबंध रखती है, दी जाएगी।

यदि कोई ऐसी सूचना दी जानी हो जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो या उसके द्वारा गुप्तता मान कर दी गई हो, तो देने से पहले, लोक सूचना अधिकारी :

- आवेदन पाने के 5 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना देंगे कि वे कौन–सी सूचना देने वाले हैं

और

- सूचना की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति के सूचना दिए जाने का विरोध करने का मौका देंगे।
- सूचना का आवेदन पाने के 40 दिन के अन्दर, अन्य व्यक्ति को सुनवाई का मौका देकर, सूचना देने या न देने का निर्णय लेंगे।
- इस निर्णय की सूचना उस अन्य व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी, यह बताते हुए कि वह इस निर्णय के विरोध में अपील कर सकते हैं।

अगर कोई लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह क्या करें ?

कोई भी व्यक्ति अगर लोक सूचना अधिकार के निर्णय से संतुष्ट न हो या उसे लगे कि दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है या उसे कोई भी जवाब न मिले, 'अपील' कर सकता है। अपील का मतलब है किसी उच्च अधिकारी या शक्ति से दोबारा निर्णय लेना।

यह अपील कैसे की जाएगी ?

निर्णय मिलने के 30 दिन के अन्दर अपील करनी होगी। अपील लिखित में, असंतोष के कारण बता कर करनी होगी। 30 दिन के बाद भी अपील दी जा सकती है अगर अपील सुनने वाले अधिकारी मान लें कि देर होने के पर्याप्त कारण थे।

अपील किसे दी जाएगी ?

अपील किसी वरिष्ठ शासकीय अधिकारी को दी जाएगी। इनका पद/पता संबंधित विभाग से मिलेगा। सूचना की अर्जी नामंजूर करते समय लोक सूचना अधिकारी लिखित में कारण देने के साथ, अपील अधिकारी का पूरा पता/पद इत्यादि भी देंगे।

अगर कोई इस पहली अपील से भी संतुष्ट न हो तो वह दूसरा अपील कर सकता है। यह दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को देनी होगी। यह अपील भी पहली अपील के निर्णय से 90 दिन के अन्दर देनी होगी।

पहली और दूसरी अपील को 30 दिन के अन्दर निपटाया जाएगा। अगर समय बढ़ाया जाएगा तो उसके कारण लिखित में दर्ज किए जायेंगे।

जब सूचना के आवेदन को नामंजूर किया जाएगा, तभी 'अपील' करने वाले अधिकारी को पूरा नाम/पद/पता आपको बताया जाएगा। यही भी बताया जाएगा कि अपील कितने दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। इस नामंजूरी के आदेश में नामंजूरी के कारण भी बताए जायेंगे। इन कारणों के आधार पर अपर अपनी 'अपील' तैयार कर सकते हैं।

शिकायत

यदि कोई विभाग सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, पर्याप्त शुल्क से अधिक शुल्क लगाए, लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न करे, अधूरी, गलत या गुमराह करने वाली सूचना दे सूचना के लिए मना करे, तो

कोई प्रभावित व्यक्ति सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

दण्ड

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, सूचना निर्धारित समय में न दे, या बिना उचित कारण के, जान बुझकर गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली सूचना दे तो उस पर सूचना आयोग द्वारा सूचना देने तक 250/– रूपये (ढाई सौ रूपये) प्रतिदिन का दंड लगा सकती है। यह दंड अधिक से अधिक 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) तक का हो सकता है। इसके अलावा, कोई अधिकारी नियमित रूप से सूचना देने के लिए मनाही करे या उसके देने के आड़े आए तो आयोग उस पर लागू होने वाले अनुशासन नियमों के अनुसार कार्यवाही का आदेश भी दे सकता है।

क्या हम नामंजूरी के विरोध में अपनी बात का न्यायिक फैसला कोर्ट में केस डाल कर ले सकते हैं ?

नहीं! इस कानून के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश को साधारण दीवानी मुकदमा करके (सिविल कोर्ट) में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल ऊपर बताई गई अपीलों द्वारा सुनवाई हो सकती है।

लेकिन, फिर भी, किसी भी शासकीय आदेश के विरोध में, हाई कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। इस अर्जी को 'रिट याचिका' कहते हैं। यह एक संविधानिक अधिकार है। अगर आपको लगे कि दिया गया आदेश गैर कानूनी, नाजायज या किसी और कारण से गलत है, तो हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं।

- हर स्थिति में, सूचना मांगने के अधिकार का उपयोग कीजिए।
- अपने विचारों की अभिव्यक्ति कीजिये। हर विचार का मूल्य होता है।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in